(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 451–दो/2004 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 29–11–2003– पारित द्वारा – आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण नम्बर 68/2002–03 निगरानी

महेश सिंह पुत्र रंधीर सिंह रघुवँशी
ग्राम मढ़ना खिरिया तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1– प्रेमनारायण पुत्र बद्रीप्रसाद कारीगर
ग्राम मढ़ना खिरिया तहसील व जिला अशोकनगर
2– म0प्र0शासन ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक क–1 के विरूद्ध एकपक्षीय)
(अनावेदक क–2 के पैनल लायर)

आ दे श
(आज दिनांक 2 – 11 –2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा मामला कमांक 68/2002–03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–11–2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सार यह है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन देकर बताया कि ग्राम मढ़ना खिरिया की भूमि सर्वे नंबर 134 रकबा 20121 हैक्टर में से रकबा 1.000 हैक्टर (आगे विवादित भूमि लिखा है) पर पिछले 10–12 साल से कब्जा चला आ रहा है, इसलिये इस भूमि को व्यवस्थापित किया जावे। नायब तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 127/94–95 अ–19 पंजीबद्ध

किया तथा आदेश दिनॉक 14-6-1995 पारित करके विवादित भूमि आवेदक को व्यवस्थापित कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 79/98-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2000 से नायब तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनॉक 14-6-1995 निरस्त कर दिया । आवेदक ने इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने मामला क्रमांक 68/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी के आधारों पर हितबद्ध पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नायब तहसीलदार ने जॉच में आवेदक का 10-12 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जा होना व खेती करना पाया है पटवारी भले ही आठ नौ सालों से कब्जा होना बता रहा है पटवारी नया था उसे जानकारी नहीं थी गॉव वालों से अन्दाज में पूछताछ करके पटवारी ने आठ नौ सालों से कब्जा होना लिखा है किंतु वास्तविक कब्जा साक्ष्य के कथनों से 10-12 वर्ष का प्रमाणित हुआ है। विज्ञप्ति सही जारी हुई है । लिपिक वर्गीय कर्मचारी से तारीख आदि न डालने की गलती हो सकती है जिसके लिये किसान दोषी नहीं है । आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र है । उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की है। विद्वान पैनल लायर ने बताया है कि जब इश्तहार का प्रकाशन दोषपूर्ण है और गॉव वालों को व्यवस्थापन की जानकारी नहीं दी गई एंव ग्राम पंचायत से अभिमत नहीं लिया गया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का एंव आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश सही है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के परिशीलन करने पर विदित है कि नायब तहसील अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 127/94-95 अ-19 में पारित आदेश दिनॉक 14-6-1995 से विवादित भूमि 1.000 है0

आवेदक को व्यवस्थापित की है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में स्पष्ट प्रावधान है कि 0.500 हैक्टर से अधिक भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया जावेगा एवं भूमि व्यवस्थापन के पूर्व यह देखा जावेगा कि भूमि कौनसे से मेढ़िया कृषक द्वारा सुविधा-जनक ढंग से जोती जा सकेगी एवं कृषि करने में कौन कृषक व्यवस्थापन का पात्र है। भूमि वन्टन / व्यवस्थापन के पूर्व सार्वजनिक प्रयोग के उद्देश्य से (ग्रामसभा) ग्राम पंचायत का अभिमत लिया जाना आवश्यक है अर्थात ग्राम के दो तिहाई बाशिन्दों की राहमति लेना चाहिये, किन्तु नायब तहसीलदार ने नियमों के विरुद्ध भूमि व्यवस्थापन किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण नंबर 79 अपील/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27-3-2000 से नायब तहसीलदार अशोकनगर के आदेश दिनॉक 14-6-1995 को ठीक ही निरस्त किया है जिसके कारण आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने मामला क्रमांक 68/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के आदेश दिनांक 27-3-2000 में एंव आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 29-11-2003 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा मामला क्रमांक 68/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-11-2003 विधि अनुरूप पाने के कारण यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर